डिसक्लेमर

परामर्श पत्र संख्या 01/2025-26 के भूमिका, प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार और हितधारकों के परामर्श की समय-सीमा संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फा. सं. ऐरा/20010/एमवाईटीपी/बीपीसीएल/एफएफ-आईटीपी/मोपा-गोवा/सीपी-I/2023-28

परामर्श पत्र संख्या 01/2025-26

सत्यमेव जयते

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के संबंध में मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मोपा गोवा (जीओएक्स) में फ्यूल फॉर्म अवसंरचना और इंटो-प्लेन सेवाओं के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि (01.04.2023 से 31.03.2028) के लिए टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

जारी करने की तारीख : 16 जून, 2025

तृतीय तल, उड़ान भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली– 110003

भूमिका

प्राधिकरण ने यह परामर्श पत्र बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी) के विस्तृत विश्लेषण के बाद जारी किया है, जिसमें भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) द्वारा मोपा, गोवा हवाई अड्डे पर इसकी फ्यूल फॉर्म और इंटो प्लेन सेवाओं के संबंध में प्रस्तुत एमवाईटीपी में दिए गए विनियामक बिल्डिंग ब्लॉकों से संबंधित विभिन्न धारणाएं और अनुमान भी शामिल हैं। तदनुसार, टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर प्राधिकरण के प्रस्तावों को इस परामर्श पत्र में विस्तार से स्पष्ट किया गया है।

अत: ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(4) के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 16 जून, 2025 के परामर्श पत्र संख्या 01/2025-26 पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियां, अधिमानत: इलैक्ट्रॉनिक रूप में, निम्नलिखित पते पर आमंत्रित की जाती है:

निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी),
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण,
तृतीय तल, उड़ान भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली-110003

ई-मेल director-ps@aera.gov.in, satish.kr@aera.gov.in;
प्रतिलिपि : secretary@aera.gov.in; trilok@aera.gov.in

हितधारकों की टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	:	08 जुलाई, 2025
जवाबी टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	:	15 जुलाई, 2025

टिप्पणियां एवं जवाबी टिप्पणियां ऐरा की वेबसाइट www.aera.gov.in पर डाली जाएंगी।

किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी), से दूरभाष संख्या +91-11-24695048 पर संपर्क कर सकते हैं।

11 *प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार*

नीचे उल्लिखित सार में प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण संबंधी संगत अध्यायों के संबंध में प्राधिकरण के प्रस्ताव पुन: प्रस्तुत किए गए हैं:

अध्याय 2 : टैरिफ निर्धारण के लिए कार्यप्रणाली

2.2.1 प्रथम नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28) से संबंधित फ्यूल फार्म और इंटो प्लेन सेवाओं के संबंध में टैरिफ के निर्धारण के लिए "लागत प्लस" विनियामक दृष्टिकोण अपनाना।

अध्याय 3*: 05.01.2023 से 31.03.2023 तक की अवधि के लिए कुल राजस्व अपेक्षा (एआरआर) का निर्धारण*

3.16.1 तालिका 10 के अनुसार पूंजीगत परिवर्धनों को मानना।

3.16.1 तालिका 13 के अनुसार वैमानिक मूल्यह्रास को मानना।

3.16.3 तालिका 15 के अनुसार आरएबी को मानना।

3.16.4 तालिका 16 के अनुसार एफआरओआर को मानना।

3.16.5 तालिका 17 में दिए गए विवरण के अनुसार ओ एंड एम खर्च को मानना।

3.16.6 तालिका 21 के अनुसार एआरआर और कम वसूली को मानना तथा प्रथम नियंत्रण अवधि के एआरआर में इस कमी को समायोजित करना।

अध्याय 4: प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए ईंधन थ्रू-पुट (मात्रा)

4.3.1 तालिका 22 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए मोपा, गोवा हवाईअड्डे पर बीपीसीएल के संबंध में ईंधन थ्रू-पुट के पूर्वानुमान को मानना।

4.3.2 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक ईंधन थ्रू-पुट के आधार पर प्रथम नियंत्रण अवधि के संबंध में ईंधन थ्रू-पुट को टू-अप करना।

अध्याय 5: प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए पूंजीगत व्यय, मूल्यह्रास और विनियामक परिसंपत्ति आधार (आरएबी)

5.7.1 तालिका 27 के अनुसार आरएबी के पूंजीगत परिवर्धनों को मानना

5.7.2 तालिका 30 के अनुसार मूल्यह्रास को मानना

5.7.3 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय लागत कार्यक्षमता और वहन किए गए कैपेक्स के औचित्य की शर्त पर वास्तविक आंकड़ों के आधार पर पूंजीगत व्यय को टू-अप करना।

5.7.4 तालिका 32 के अनुसार औसत आरएबी को मानना।

5.7.5 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकडों को ध्यान में रखकर आरएबी और औसत आरएबी को टू-अप करना।

अध्याय 6 : प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए प्रतिलाभ की उचित दर (एफआरओआर)

6.3.1. *तालिका 33 के अनुसार एफआरओआर को मानना*

अध्याय 7 : प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) व्यय

7.3.1 तालिका 49 के अनुसार प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) व्यय को मानना।

7.3.2 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) खर्च को ट्रू-अप करना।

अध्याय 8 : प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए कराधान

8.3.1 तालिका 51 के अनुसार मोपा, गोवा हवाईअड्डे के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक कर को मानना।

8.3.2 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय प्रथम नियंत्रण अवधि के वैमानिक कर को ट्रू-अप करना।

अध्याय 9 : प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए कुल राजस्व अपेक्षा (एआरआर)

9.3.1 तालिका 54 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए बीपीसीएल के संदर्भ में एआरआर को मानना।

9.3.*2* द्वितीय नियंत्रण अवधि के टैरिफ निर्धारित करते प्रथम नियंत्रण अवधि के एआरआर को ट्रू-अप करना।

अध्याय 10 : प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक राजस्व

10.3.1 तालिका 57 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए बीपीसीएल, मोपा, गोवा के संबध में वैमानिक सेवाओं (एफआईएफ और आईटीपी प्रभार) के लिए टैरिफ दरों को मानना।

10.3.2 तालिका 58 के अनुसार बीपीसीएल के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि के संबंध में वैमानिक राजस्व को मानना।

10.3.3 प्रथम नियंत्रण अवधि से संबंधित 23% एआरआर को द्वितीय नियंत्रण अवधि में अग्रेनीत करना।

10.3.4 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय प्रथम नियंत्रण अवधि के वैमानिक राजस्व को ट्रू-अप करना।

12 हितधारकों से परामर्श की समय-सीमा

12.1 ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(4) के प्रावधान के अनुसार इस परामर्श पत्र के अन्य अध्यायों की संगत चर्चा के साथ पठित अध्याय 11- 'प्रस्तावों का सार' में निहित प्रस्ताव पर एतद्द्वारा हितधारकों के परामर्श के लिए प्रस्तुत है।

12.2 संदेह दूर करने के लिए स्पष्ट किया जाता है कि इस परामर्श पत्र की विषय-वस्तु का प्राधिकरण द्वारा जारी किसी आदेश या निदेश की तरह अर्थ न लगाया जाए। प्राधिकरण इस मामले के जवाब में हितधारकों की प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद और अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में पूर्ण रूप से लिखित रूप में प्रमाणित और स्पष्ट निर्णय करने के बाद ही इस मामले में आदेश जारी करेगा।

15.1.3 प्राधिकरण उपर्युक्त अध्याय 11 में दिए गए प्रस्ताव पर हितधारकों के लिखित साक्ष्य-आधारित फीडबैक, टिप्पणियों और सुझावों का स्वागत करता है, जिन्हें अधिक से अधिक *08.07.2025* तक निम्नलिखित पते पर भेज दिया जाए।

सचिव,
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण,
तृतीय तल, **उडान भवन**, **सफदरजंग हवाईअड्डा**,
नई दिल्ली –110003.
टेलिफोन 011-24695048

(अध्यक्ष)